<u>न्यायालय:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103002252010</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—54/10</u> संस्थापित दिनांक—10.03.10

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :—
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

बिरुद्ध

01—रम्मा उर्फ रमेश पुत्र मुन्नालाल ढीमर आयु 28 वर्ष

02—बिन्नीबाई उर्फ रूकमणी पत्नी रमेश ढीमर आयु 26 वर्ष निवासीगण बादल महल, चंदेरी जिला अशोकनगर (म०प्र०)

अारोपीगण

राज्य द्वारा :— श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा :— श्री सतीश श्रीवास्तव अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 22.11.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341,294,323 / 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी संध्याबाई ने दिनांक 08.03.10 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 08.03.10 को शाम के 7 बजे बादल महल चंदेरी पर आरोपीगण ने फरियादी को मां विहन की गालियां दी तथा जमीन पर उसे पटक दिया जिससे उसे चोट आई। फरियादी के अनसार बिन्नीबाई ने पत्थर से मारा जिससे उसे चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 67/10 के अंतर्गत भादि की धारा 341,294,323/34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 323,323 / 34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपी रम्मा उर्फ रमेश ने दिनांक 03.03.10 के शाम 07:00 बजे के लगभग थाना चंदेरी से दक्षिण दिशा मे एक किलोमीटर की दूरी पर घटनास्थल बादलमहल पर जो कि लोकस्थान है पर फरियादी संध्याबाई पत्नी जगदीश सुमन को मॉ—बहिन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य लोगों को क्षोभ कारित किया ?
 - 2. क्या आरोपी रम्मा ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी संध्याबाई का धक्का देकर जमीन पर गिराकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
 - 3. क्या आरोपी रम्मा एवं बिन्नीबाई ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत योगेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय सहअभियुक्त के साथ मिलकर बनाया जिसक अग्रसरण मेंसह

4. अभियुक्त ने आहत को पत्थर मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की ? क्या आरोपी बिन्नीबाई ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर आहत योगेश को पत्थर मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 डॉ एस पी सिद्धार्थ, अ.सा.2 संध्याबाई, अ.सा.3 राकेश, अ.सा.4 रामिकशोर, अ.सा.5 योगेश सुमन, अ.सा.6 जंगबहादुर की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 02 संध्याबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनाक को आरेपी रम्मा शराव पीकर आया और बुरी बुरी गालियां दे रहा था। अ.सा.1 के अनुसार जब उसने आरोपी को रोका तो मौके पर बिन्नीबाई आ गई और दोनो आरोपीगण ने मारपीट व झगड़ा किया जिससे उसे चोट लगी। अ.सा.1 के अनुसार बिन्नीबाई ने उसे पत्थर मारा था तथा मौके पर उसका लड़का देवेश आ गया था। अ.सा.1 के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी03 लेखबद्ध कराई थी तथा पुलिस ने नक्सा मौका बनाया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके अलावा और किसी को चोट नहीं आई थी। अ.सा.3 राकेश ने अपने कथन मे बताया है कि घटना दिनाक को वह मंदिर से लौट रहा था उस समय झगड़ा हो रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी रम्मा गालियां दे रहा था तथा संध्यावाई के हाथ मे चोट लगी थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अपने प्रतिपरीक्षण मे उक्त साक्षी का कहना है कि फरियादी के हाथ मे चोट आई थी जो उसने देखी थी।

08— अ.सा.5 योगेश सुमन ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक का आरोपी रम्मा की पत्नी ने उसकी मां को पत्थर मारा था जिससे उसको चोट आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार रम्मा की पत्नी गालियां दे रही थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि किस बात पर से झगडा हुआ था क्योंकि वह मौके पर मौजूद नहीं था। उक्त साक्षी के अनुसार उसकी मां के हाथ में चोट आई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसकी मां ने बिन्नीबाई को पूर्व रंजिश के आधार पर झूंठी रिपोर्ट की है। अ.सा.4 रामिकशोर ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनाक को आरोपीगण ने फरियादी के साथ गाली गलोच की थी। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी ने फरियादी के साथ मारपीट की थी।

अ.सा.६ जंगबहादुरसिह जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन मे 09-बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में नक्सा मौका प्र0पी04 तैयार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये थे एवं आरोपीगण को गिरप्तार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके द्वारा प्रकरण में झूंठी विवेचना की गई है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। अभियाजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा.४ पक्षद्रोही हो गया है। अ.सा.४ द्वारा अभियोजन की कहानी का कोई सर्मथन नहीं किया गया है। अ.सा.२ जो कि मामले का फरियादी है ने अपने कथनों में स्पष्टरूप से बताया है कि उक्त घटना दिनाक का आरोपी रम्मा द्वारा उसके साथ गाली गलोच की गई तथा दोनो आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि आरोपी बिन्नीबाई ने उसे पत्थर से मारा था। अ.सा.2 की साक्ष्य का अनुसर्मथन अ.सा.३ एवं अ.सा.५ की साक्ष्य से हो रहा है। अ.सा.३ एवं अ.सा.५ दोनो साक्षीगण ने अपने कथन मे बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आहत संध्यावाई को चोट आई थी। उक्त तथ्य की संपुष्टि अ.सा.१ की साक्ष्य से हो रही है। अ.सा.१ जो कि मेडिकल विशेषज्ञ है ने अपनी साक्ष्य में स्पष्टरूप से बताया है कि घटना दिनाक को आहत संध्यावाइ का मेडिकल परीक्षण उनके द्वारा किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी01 है। प्र0पी01 की रिपोर्ट से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनाक को आहत संध्यावाई को चोट आई थी।

उल्लेखनीय है कि अभियोजन के अनुसार प्रकरण मे एक अन्य आहत 10-योगेश भी है जिसको मारपीट में चोट आई थी किंतु अ.सा.2 मामले की फरियादी तथा अ.सा.5 योगेश जो कि स्वयं आहत भी है ने अपने कथनों मे यह कहीं नही बताया हैकि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा आहत योगेश के साथ मारपीट की गई थी। आहत योगेश के साथ मारपीट के सबंध में अन्य किसी साक्षी ने भी अपने कथनों में कुछ नहीं बताया है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त ध ाटना दिनांक को आरोपी रम्मा द्वारा फरियादी संध्यावाई के साथ गाली गलोच की गई तथा आरोपी रम्मा एवं बिन्नीबाई दोनो ने संध्याबाई के साथ मारपीट की। अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि आरोपीगण ने आहत योगेश के साथ मारपीट की या आहत योगेश को पत्थर मारा। परिणामतः आरोपी रम्मा को आहत योगेश के सबंध में भादवि की धारा 323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी बिन्नीबाई को आहत योगेश को पत्थर मारने के संबंध मे भादवि की धारा 323 के आरोपी से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी बिन्नीबाई को भादवि की धारा 323 / 34 के आरोप मे सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है तथा आरोपी रम्मा उर्फ रमेश को भादवि की धारा 294 एवं 323 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

11— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी जिला–अशोकनगर

पुनश्च:-

12— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश श्रीवास्तव का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा एक महिला के विरूद्ध कारित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

13— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा कोई हिंसा कारित की जाती है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी बिन्नीबाई को भा.द.वि. की धारा 323 / 34 के अपराध में 01 माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपी रम्मा उर्फ रमेश को भा.द.वि. की धारा 294, के अपराध में 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास एवं आरोपी रम्मा उर्फ रमेश को भा. द.वि. की धारा 323, के अपराध में 01 माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास एवं आरोपी रम्मा उर्फ रमेश को भा. द.वि. की धारा 323, के अपराध में 01 माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। उक्त दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण

में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

- 14- आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।
- 15— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।
- 16— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 17— आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)